

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / एन.ओ.टी.० / 2019-20 / 2178
दिनांक 27.7.2018

कार्यालय छाप

विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता / 6044 दिनांक 04.02.2012 एवं सम्बद्धता / 6043 दिनांक 04.02.2012 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2103 / सत्र-2-2012-2(166) / 2002 उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांक 09.08.2012 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, दादरी, गौतमबुद्धनगर को बी0बी0ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत इस शर्त के साथ शैक्षिक सत्र 2019-20 से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

01. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
02. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनादेश संख्या-3075 / सत्र-2-2002-2(166) / 2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411 / सत्र-2-2002-2(166) / 2002 दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-193 / सत्र-2-2003-2(166) / 2002 दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या-585मु0म० / सत्र-2-2005-2(166) / 2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 एवं शासनादेश संख्या-743मु0म० / सत्र-2-2006-2(166) / 2002 दिनांक 07.11.2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगा।
03. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
04. संस्थान की लायब्रिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।
05. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
06. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ का वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
07. मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतीनी की मूल प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण गे क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

- 12th P... Passed from ... Application ... 70ss, Int...
8. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिङ्गन नम्बर— 745/2, 746 व 747 ग्राम बैरंगपुर क्षेत्रफल 13814.5 वर्गमीटर भूमि में निरस्त सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित ही संचालित किया जायेगा अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में करा लिया जायेगा।
9. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रत्यन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।
10. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार प्राविधानित मानकों के अनुरूप भवन का निर्माण एवं अग्निशमन व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उक्त भूमि पर एम०सी०आई०/डी०सी०आई०/बी०सी०आई० द्वारा संचालित पाठ्यक्रम तथा अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा है। विश्वविद्यालय के संज्ञान में इस प्रकार का कोई प्रकरण आने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संरक्षण का स्वयं का होगा।
12. संस्थान/महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय से समय-समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

कुलसचिव

सम्बद्धता/एन०ओ०सी०/2019-20 | २१७८ तददिनांक | २८-८-२०१८

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मरठ।

सचिव/प्रबन्धक/प्राचार्य, विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
गार्ड फाइल।

कुलसचिव
४.८